तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6/5/24	पत्रावली पेश। वास्ते पेश करने लम्बी। तलबाना पत्रावली दिनांक - 15/05/24 को पेश हो। तब तक T.I. अवधि बढ़ाई जाती है। पुनश्च: बहस T.I. सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक - 15/05/24 को पेश हो।
15/5/24	पत्रावली पेश। वकील पक्षीकारान की बहस पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने कथन किया की मेरी खातेदारी भूमि ख०सं० 242 है। मेरी भूमि के लगे कोर के बाहर बरसाती नाला है। परन्तु अप्रार्थीगण उक्त नाले को लांघकर प्रार्थी की भूमि पर दखलन्दाजी पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई हक, अधिकार नहीं है, उन्हे प्रार्थी की भूमि मे दखलदांजी नही करने हेतु पाबन्द किया जावे। वकील अप्रार्थी ने खण्डन मे कथन किया की हमारी भूमियो के मध्य बरसाती नाला है, उसको इन्होने ढांककर अपनी भूमि मे मिला लिया है व हमारी भूमि पर नया नाला बनाने पर आमादा है, उसका विरोध कर रहे है। हम हमारी सीमा की हद तक पाबन्द है, इनको नाले का स्वरूप नष्ट नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावें। प्रकरण मे सम्पूर्ण विवेचन उपरान्त अप्रार्थीगण को ताफैसला बाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख०सं० 242 वाके ग्राम बघां का खेडा प०स० खेरखड़ा के किसी भी भू भाग पर कोई हस्तक्षेप, दखलदांजी नहीं करें। एवं उभयपक्षीकारान

P.T.O →

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
को पाबन्द किया जाता है कि ख॰सं॰ 252 गै॰मु॰ नाला की वर्तमान स्थिति में कोई अवरोध व परिवर्तन ताफैसला वाद नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)	